संख्याः 1378 /XV–1/2025–89844

OC/ALBC

DM
13/8/25

प्रेषक,

सन्तोष बड़ोनी
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
पशुपालन विभाग
उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग–01 देहरादून : दिनांक 12 अगस्त 2025।

विषय : गोसदनों के संचालन हेतु जनपद स्तरीय समिति एवं विकासखण्ड स्तरीय समिति के गठन एवं कार्य/दायित्वों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर निदेशक, पशुपालन निदेशालय, उत्तराखण्ड के पत्रांक–1427/दिनांक–11 जुलाई 2025 एवं संयुक्त निदेशक, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड, देहरादून के पत्र संख्या–1623–30/दिनांक–23 जुलाई 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से गोसदनों के संचालन हेतु जनपद स्तरीय समिति एवं विकासखण्ड स्तरीय समिति के गठन किये जाने एवं समितियों को कार्य/दायित्व आवंटित किये जाने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2– उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या–909/XV-1/25/63495 दिनांक–02 जून 2025 द्वारा निराश्रित गोवंश हेतु गोसदनों के निर्माण एवं उनके भरण–पोषण हेतु नीति प्रख्यापित की गयी है। उक्त प्रख्यापित नीति के कम में पशुपालन निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गोसदनों के संचालन हेतु जनपद स्तरीय समिति एवं विकासखण्ड स्तरीय समिति का गठन एवं उनके कार्य/दायित्व निम्नवत् निर्धारित किये जाते हैं:–

जनपद स्तरीय समिति का गठन–

कमांक	अधिकारी का नाम	पदनाम
1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य सचिव
3.	नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, सम्बन्धित नगर निकाय	सदस्य
4.	अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य
5.	मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी	तकनीकी सदस्य

File No. AHS-G/G6/22/2025-XV-1-Animal Husbandry Department (Computer No. 89844)
Generated from eOffice by ANIL SEKHAR, Review Officer-Animal Husbandry Section AE, REVIEW OFFICER, Animal Husbandry Department on 12/08/2025

जनपद स्तरीय समिति के कार्य एवं दायित्वः–

1. निराश्रित गोवंश को शरण दिये जाने हेतु गोसदन शरणालयों की स्थापना हेतु भूमि का चिन्हीकरण।

2. जिलान्तर्गत विभिन्न विभागों के साथ समन्वयन स्थापित करते हुए निराश्रित गोवंशीय पशुओं की पशुगणना।

3. मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी के माध्यम से प्राप्त गोसदनों के आवेदन प्रकरणों का परीक्षण एवं अनुमोदन।

4. गोसदनों के पंजीकरण हेतु जिला स्तरीय समिति का अनुमोदन अनिवार्य होगा। जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन उपरान्त आवेदनों का प्रेषण उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड स्तर पर किया जायेगा।

5. गोसदन के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था का चयन।

6. Gap Funding हेतु धनराशि आबंटन (श्रोतः शहरी विकास विभाग, नाबार्ड, जिला माइनिंग फण्ड Untied Fund, CSR आदि।

7. चिन्हांकित भूमि पर निराश्रित गोवंश हेतु गोसदन की स्थापना के लिये आंगणन तैयार कर TAC कराने के उपरान्त Gap Funding के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराये जाने के पश्चात अवशेष धनराशि की मांग के प्रस्ताव का शासन को प्रेषण।

8. गोशाला निर्माण हेतु बजट उपलब्ध हो जाने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से यथासमय कार्य पूर्ण कराना।

9. निराश्रित गोवंश हेतु गोसदन की स्थापना एवं संचालन की प्रकिया का जनपद स्तर पर मासिक मूल्यांकन।

10. डीबीटी के माध्यम से गोसदनों को भरण–पोषण मद में दिये जाने वाले राजकीय अनुदान का भुगतान करना।

विकासखण्ड स्तरीय समिति का गठन–

कमांक	अधिकारी का नाम	पदनाम
1.	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी	सदस्य
3.	क्षेत्रीय पशुचिकित्सा अधिकारी	सदस्य

कार्य एवं दायित्व–

1. क्षेत्रीय पशुचिकित्सा अधिकारी (Jurisdictional Veterinary Officer) के माध्यम से नवीन प्राप्त गोसदनों की जांच आख्या/पूर्व से संचालित गोसदनों की मासिक निरीक्षण आख्या का प्रेषण।

2. वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी (Jurisdictional Veterinary Officer) के माध्यम से नवीन गोसदनों का निरीक्षण एवं पूर्व से संचालित गोसदनों की मासिक प्रगति का प्रेषण।

File No. AHS-G/G6/22/2025-XV-1-Animal Husbandry Department (Computer No. 89844)
Generated from eOffice by ANIL SEKHAR, Review Officer-Animal Husbandry Section AS, REVIEW OFFICER, Animal Husbandry Department on 13/08/2025 10:36 am

3. जिला स्तरीय समिति द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन।

3– कृपया उक्त नीति का प्रभावी क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करें।

Digitally signed by
Santosh Badoni
Date: 12-08-2025
12:35:55

भवदीय,

(सन्तोष बड़ोनी)
अपर सचिव।

संख्या–1378/XV-I/2025/89844 तद्दिनॉकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, शहरी विकास विभाग/पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 पशुपालन मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. मण्डलायुक्त कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, शहरी विकास/पंचायती राज, उत्तराखण्ड।
7. अनुभाग अधिकारी, शहरी विकास अनुभाग–02/पंचायतीराज अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
8. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
9. समस्त पशुचिकित्साधिकारी उत्तराखण्ड।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Karam Ram
Date: 12-08-2025
17:01:50

(करम राम)
अनुसचिव।